(OL) श्री सुबोध जैन Ad.

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	167/2020 अर्जुनलाल / प्रेमदेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 22	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/7/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से प्रथमदृष्टया संतुस्ट होकर आगामी तारीख पेशी तक आदेश जैर अपील दिनांक 23/06/2020 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। रेस्पो. के नोटिस जारी करे। तहत पत्रावली तलब करे। पत्रावली दिनांक 27/7/20 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	नो० मि० 2716-36 09.7.20
27/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र यादव ने वकालतनामा एवम् जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलान्ट को दिलवाई गयी। पूर्व आदेश यथावत रखा जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु दिनांक 30/7/2020 को पेश हो।	
30/7/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। आज कन्डोलेंस हो जाने। R.A.A. ___ अवकाश पर होने/अन्य प्रशासकीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/8/20 को पेश हो। पूर्व आदेश यथावत रहेगा।	
06/8/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया जो इस अपील में रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 है, के द्वारा अपनी खाते की सम्पूर्ण आराजीयात का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26/6/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

के द्वारा किया जा चुका है ऐसी परिस्थिति में अब उन्हे कोई हक अधिकार शेष नहीं रह गया है जिससे उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद बाबत् बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सधारण योग्य ही नहीं रह जाता है। अतः आदेश जेर अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस मे निवेदन किया कि ऐसा कोई तथ्य उनकी जानकारी में नहीं है एवम् यदि यह सत्य भी है तो इस बिन्दु का निर्धारण इस अपील के माध्यम से नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही हो सकता है।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान् को पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस दस्तावेजों की सूची के साथ प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 26/6/2020 की फोटोप्रति के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पो. सं. 1 प्रेमदेवी जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया है, के द्वारा वरनगत भूमि मे दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/35 का विक्रय किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति मे अपीलार्थी द्वारा अपील की इस स्टेज पर प्रस्तुत तथ्यो से प्रथमदृष्टया सन्तुष्ट होकर आदेश जेर अपील दिनांक 23/6/2020 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षो की सुनवाई कर गुणावगुण पर विधि अनुरूप आदेश पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्रति सहित दिनांक 20/8/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर